रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258664 CG-DL-E-14112024-258664

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4546]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946

No. 4546]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

का.आ. 4930(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2504(अ), तारीख 28 जून, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 जून, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 0.16 हेक्टर (लगभग) या 0.395 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

7378 GI/2024 (1)

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 0.16 हेक्टर (लगभग) या 0.395 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

- टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या सी-I(ई)/III/जेजेजेआर/0824/1020, तारीख 2 अगस्त, 2024 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001, महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकेगा।
- टिप्पण 2: पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध करना है :-
 - "8. अर्जन की बाबत् आपित्तयाँ.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपित्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अन्तर्गत यह आपित्त नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपित सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपित्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपित्तयों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यिद कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के बाबत एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकडों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के बाबत आपित्तयों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सिहत विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।
 - (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए गए थे।"
- टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

सस्ती एक्सपेंशन ओपनकास्ट माईन (फेज III)

बल्लारपुर क्षेत्र

जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

[रेखांक धारक संख्या: संख्यांक सी-I(ई)/III/जेजेजेआर/0824/1020, तारीख 2 अगस्त, 2024]

सभी अधिकार:

क्रम ·	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल	तहसील	जिला	भूमि का विवरण (हेक्टर)			कुल क्षेत्रफल	टिप्पणियाँ
सं.		साकल संख्या			निजी	सरकारी	वन	(हेक्टर)	
1	भडांगपुर	-	राजुरा	चंद्रपुर	0.16	0.00	0.00	0.16	भाग(शेष
									भूमि)
	कुल:					0.00	0.00	0.16	-

कुल क्षेत्र: 0.16 हेक्टर (लगभग) या 0.395 एकड़ (लगभग)

ग्राम भडांगपुर के अधिसूचित क्षेत्र के प्लाट संख्यांक:

निजी क्षेत्र:

243 (भाग) (शेष भूमि)

सीमा वर्णन:

- क ख: रेखा ग्राम गोवरी एवं भडांगपुर के सम्मिलित सीमा मे बिंदु 'क' से प्रारंभ होकर सास्ती खुली खदान के लिए पूर्व में अधिग्रहित प्लाट संख्या 243(भाग) के बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख ग: रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होकर सास्ती खुली खदान के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि के बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और ग्राम भडांगपुर एवं माथरा के सम्मिलित सीमा मे बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।
- ग घ: रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होकर सास्ती खुली खदान के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि के बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ क: रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और उत्तर दिशा से लगकर बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/09/2024–एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

S.O. 4930(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2504(E), dated the 28th June, 2024 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th June, 2024, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 0.16 hectares (approximately) or 0.395 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 0.16 hectares (approximately) or 0.395 acres (approximately) and all rights in or over the said land specified in the Schedule appended hereto;

- **Note 1:** The plan bearing number C-I(E)/III/JJJR/0824/1020, dated the 2nd August, 2024, comprising the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Chandrapur, Maharashtra or in the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur 440001, Maharashtra.
- Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows: -
 - **"8. Objections to acquisition. -** (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation: - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.
- (3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.".
- **Note 3:** The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi-110092 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S. O. 2519 dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Sasti Expansion Open Cast Mine (Phase III)

Ballarpur Area

District Chandrapur (Maharashtra)

[Plan bearing number: C-I(E)/III/JJJR/0824/1020, dated the 2nd August, 2024]

All Rights:

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Desc	cription of la	Total	Remarks	
					Tenancy	Govt.	Forest	Area	
1.	Bhadang- pur	-	Rajura	Chandrapur	0.16	0.00	0.00	0.16	Part (Balance land)
	Total:					0.00	0.00	0.16	-

Total area: 0.16 hectares (approximately) or 0.395 acres (approximately)

Plot number within notification boundary in village Bhadangpur: Tenancy land:

243(Part) (Balance land)

Boundary description:

- A B: Line starts from Point 'A' on common village boundary of Gowari and Bhadangpur, passes along the outer boundary of Plot Number 243 Part that is already acquired for Sasti Opencast Mine and meets at Point 'B'.
- B C: Line starts from Point 'B' then passes along the outer boundary of land already acquired for Sasti Opencast Mine and meets at Point 'C' on common village boundary of Bhadangpur and Mathara.
- C D: Line starts from Point 'C', passes along the outer boundary of already acquired land for Sasti Opencast Mine and meets at Point 'D'.
- D-A: Line starts from Point 'D', passes along North boundary and meets at Point 'A'.

[F. No. 43015/09/2024-LAIR] BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.